रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 1971/फाल्गुन 18, 1892

[No. 34] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 1971/PHALGUNA 18, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th March, 1971

SUBJECT.—*Import policy for Registered Exporters for the year April 1970—March 1971 (Amendment No. 64).*

No. 25-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the year April 1970, March 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48-ITC(PN)/70, dated 31st March 1970.

2. For entry (b) under column 4 against S. No. A.50.2 of Section II of the above Red Book, the following may be substituted:—

"(b) Tinplate strips"

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1971

विषय अप्रैल,--1970--मार्च 1971 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों हेतु आयात नीति (संशोधन सं० 64) ।

सं० 25 आई०टी०सी० (पी०एन०)/71.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 48–आई टी सी (पी एन)/70, दिनांक 31–3–70 के अन्तर्गत जारी की गई अप्रैल, 1970–मार्च, 1971 वर्ष के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैड बुक) के वाल्यूम 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. उपर्युक्त रैड बुक के खंड 2 की क्रम संख्या ए० 50.2 के सामने के कालम चार के अन्तर्गत प्रविष्टि (बी) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाय :--

"(बी) टीन प्लेट स्ट्रिप्स"

SUBJECT.—*Scheme of supply of rough diamonds imported from German Democratic Republic by N.M.D.C. Ltd.,*

No. 26-ITC(PN)/71.—Attention is invited to Public Notice No. 98/70, dated 8th July 1970 on the above subject. It has been decided to amend paras 4(c) and 4(d), 5 and 6 of the same The following may therefore be treated as substituting the existing paragraphs:

4(c) In the case of the Registered Exporters holding advance licences for import of rough diamonds from Rupee Payment Countries upto the value of their licences, subject to their giving a Bond for fulfilment of export obligation by export of cut or polished diamonds as may be fixed in relation to the replenishment rates of the export product and on giving a Bank Guarantee for half the amount of the value of the release to be made by the N.M.D.C. valid initially for two years;

4(d) In the case of those registered exporters who have been authorised by the Government to participate in overseas trade fairs/exhibitions on their giving a Bond for fulfilment of export obligation by export/sale against free foreign exchange of cut or polished diamonds as may be fixed in relation to the replenishment rates of the export product and on giving a Bank Guarantee for half the amount of the value of the release to be made by the N.M.D.C. valid initially for two years;

5. Exports under the export obligation shall have to be made to General Currency Areas obtaining fob realisation of not less than $ 90 per carat net of all commission and other deductions.

6. In the case of licence holders who have endorsed their valid or revalidated replenishment licences in favour of N.M.D.C. for importing the rough diamonds, the supplies will be made to them without any requirement of further export obligations or bank guarantee. In the case of all others, the supplies will be subject to export obligation to be fulfilled within twelve months of the release of the rough diamonds, supported by a bank guarantee and bond as indicated in paragraph 4 above. A letter of credit will not be insisted upon prior to the release of supplies in such cases.

P. K. SAMAL,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय.—एन० एम डी० सी० लि० द्वारा जर्मन जनवादी गणतन्त्र से आयातित अपरिष्कृ. हीरों का सम्भरण करने की योजना ।

सं० 26 आई०टी०सी० (पी०एन०)/71.—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना संख्य. 97/70, दिनांक, 8-7,70 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । उसी की कंडिका 4(सी) और 4(बी), 5 और 6 को संशोधित करने का निश्चय किया गया है । इसलिए, वर्तमान कंडिकाओं में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—

4(सी): उन पंजीकृत निर्यातकों के मामले में जिनके पास रुपये में भुगतान देशों से अपने लाइसेंसों के मूल्य तक के लिए अपरिष्कृत हीरों का आयात करने के लिए अग्रिम लाइसेंस है, वे परिष्कृत या चमकीले हीरों के निर्यात के द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए बौंड देने के अधीन हैं, और इनका निश्चय निर्यात उत्पाद की प्रति पूर्ति दरों के सम्बन्ध में और रिहाई के मूल्य की आधी धन राशि के लिए बैंक गारन्टी देने पर जो कि एन० एम० डी० सी० द्वारा प्रारम्भिक दो वर्षों के लिए वैध की जानी है, किया जा सकता है ।

4(डी): उन पंजीकृत निर्यातकों के मामले में जिनके द्वारा परिष्कृत या चमकीले हीरों का जिनका निश्चय निर्यात उत्पाद की प्रतिपूर्तिदरों के सम्बन्ध में और रिहाई के मूल्य की आधी धन राशि के लिए बैंक गारन्टी देने पर किया जा सकता है जो कि एन० एम० डी० सी० द्वारा प्रारम्भिक दो वर्षों के लिए वैध की जानी है, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए निर्यात/बिक्री द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए बौंड देने पर विदेश के व्यापारी मेलों/प्रदर्शनीयों में सहयोग देने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत हो चुके हैं ।

5. सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिए निर्यात दायित्व के अन्तर्गत निर्यात तभी किए जायेंगे जबकि जहाज पर निःशुल्क उगाही प्राप्त कर ली गई हो और जो सभी प्रकार के कमीशन और अन्य छूटों के 90 डालर प्रति केरट वास्तविक से कम न हो ।

6 उन लाइसेंस धारियों के मामले में जिन्होंने अपरिष्कृत हीरों के आयात करने के लिए अपने बैंध या पुनर्बैंध पुनर्पूर्ति लाइसेंसों को एन० एम० डी० सी० के नाम में पृष्ठांकित कर दिया है, उनको संभरण उनसे बिना किसी प्रकार के आगामी निर्यात दायित्व या बैंक गारन्टी की मांग किए ही किया जाएगा । और सभी के मामले में संभरण निर्यात दायित्व के अधीन होगा जिसे उन्हें अपरिष्कृत हीरों के रिहाई के 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा जिसमें उपर्युक्त कंडिका 4 में बताए गए के अनुसार एक बैंक गारन्टी और बौंड होगा । जहां तक ऐसे मामलों में संभरण किया जाना है, रिहाई क लिए किसी पूर्व साख पत्र के लिए जोर नहीं दिया जायगा ।

पी० के० समाल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971